



भा.कृ.अनु.प.
ICAR

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006
बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - 334006



पत्रावली क्रमांक:07(ii)08/CS/FPA/16/ 5149 दिनांक: 11.10.2022.

संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र के प्रखण्डों में बुवाई की गई ग्वार कटाई-गहाई का कार्य हिस्सेदारी पर देने हेतु संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 17.10.2022 को दोपहर 12.00 बजे बोली आयोजित की जावेगी।

नियम व शर्तें:

1. उक्त कार्य हेतु संस्थान द्वारा कोई भी मानव संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे।
2. बुवाई किए गए ग्वार बीज की मात्रा (100 किय्रा.) निकालने के बाद ही हिस्सेदारी की जाएगी।
3. गहाई का कार्य संस्थान के तकनीकी अधिकारी की उपस्थिति में ही किया जायेगा।
4. कार्य किसी भी व्यक्ति अथवा फर्म जो इस कार्य को समझते हैं उन्हें ही हदया जाना प्रस्तावित है कार्य तय समय पर मौसम के अनुरूप ही पूरा करना होगा जिससे उम्पादन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े।
5. फार्म प्रक्षेत्र के प्रखण्डों में बुवाई की गई ग्वार कटाई-गहाई का कार्य हिस्सेदारी पर देने हेतु जिसकी नीलामी की जानी है, इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म से संपर्क किया जा सकता है।
6. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रूप में रु.2000/- (रुपये दो हजार मात्र) जमा कराने होंगे।
7. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसी सफल बोलीदाता को कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध (नोन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर कार्यादेश जारी किया जावेगा एवं ठेकेदार द्वारा कार्य शुरु किया जावेगा।
8. सफल बोलीदाता साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा। किस स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोली दाता की बोली स्वीकार करने या नीलामी आयोजित करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
9. ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि फार्म प्रक्षेत्र के प्रखण्डों में बुवाई की हुई ग्वार की कटाई-गहाई कार्य के दौरान वृक्षों और संस्थान के अन्य बगीचों/वृक्षों एवं अन्य संपत्ति को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे। वृक्षों के बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
10. संस्थान से अधिकार पत्र मिलने के पश्चात कार्य करने का कार्यादेश जारी होने के एक माह में पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात ठेकेदार का कोई हक नहीं रहेगा। इस अवधि में ग्वार फसल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ठेकेदार का ही होगा।
11. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
12. फार्म प्रक्षेत्र के प्रखण्डों में बुवाई की हुई ग्वार की कटाई-गहाई का कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर तकनीकी कर्मचारी (खण्ड) की देखरेख में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य ही सम्पन्न करना होगा। रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश में उक्त कार्य नहीं होगी। संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को उक्त कार्य के लिये नहीं लगाना होगा। अन्यथा ठेका तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। हिस्सेदारी के पश्चात ग्वार बीज व कचरा (चारा) को संस्थान के बाहर ले जाने से पहले गेट-पास लेना अनिवार्य है।

13. बुवाई की हुई ग्वार की कटाई-गहाई, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेगा।
14. किसी भी प्राकृतिक आपदा (वर्षा, आंधी-तूफान, पशु से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से ग्वार को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी
15. तुड़ाई अनुबंध के कार्य सम्पादन हेतु लगाए जाने वाले श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान एवं उनके प्रति सभी प्रकार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
16. ठेकेदार (सफल बोलीदाता) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) बुवाई की हुई ग्वार की कटाई-गहाई का कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
17. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोड़ने या न छोड़ने का अधिकार संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

रमेश
(रमेश) 11-10-2022

प्रशासनिक अधिकारी
ADMINISTRATIVE OFFICER

भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
ICAR-CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE
बीकानेर/BIKANER

वितरण : By Email

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोकस सं.07 जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोकस सं.08, जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट - केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
7. सूचना पट्ट - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछवाल, बीकानेर।
8. सूचना पट्ट - राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
9. फार्म मैनेजर - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी फार्म - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को संक्षिप्त निविदा सूचना सहित संस्थान की वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।